न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस., कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 39/2017 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2017/00140)

व उनवानी प्रकरण :–

1. तौफीक खां पुत्र स्व0 रसीद खां निवासी तवेला थाना निहालगंज जिला धौलपुर ——— प्रार्थी/अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग) धौलपुर ——— अप्रार्थी/रैस्पोडेण्ट।

प्रार्थना पत्र बावत नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने

उपस्थिति:–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री आरिफ अहमद अभिभाषक।
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर सहा0 लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय दिनांक 23.07.2018

निर्णय

यह प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर, संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16.6.2017 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.02.2017 को निरस्त करते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर, संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 16.6.2017 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि वह इस सम्बन्ध में कोई कथन या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

प्रार्थी की ओर से श्री आरिफ अहमद अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी की ओर से श्री अनुभव पारासर सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, से प्रार्थी के चरित्र सम्बन्धी एंव शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट स्पष्ट अभिशंषा के साथ चाही गई।

(नन्नूमल पहाड़िया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.9.2017 के द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को स्थानान्तरण किये जाने की अनुशंषा की है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने प्रार्थी का चरित्र एवं चाल–चलन अच्छा बताया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी शांत स्वभाव एवं व्यवसायी पेशा व्यक्ति है। जिस कारण बाहर आना जाना रहता है। जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/1984 को स्थानान्तरण कराना चाहता है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक एवं सजायावी रिकार्ड दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपने मृतक पिता के शस्त्र अनुज्ञापत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम स्थानान्तरण कराने हेतु नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र बनवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि पूर्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि0शा0) जोन भरतपुर ने प्रार्थी के सम्बन्ध में चरित्र सम्बन्धी स्थिति एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र सम्बन्धी जांच जोन यूनिट धौलपुर से कराई। जांच में पाया कि प्रार्थी का स्वयं का एक गैरेज है, जिसमें मैसी ट्रैक्टरों की मरम्मत करता है। शस्त्र अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी को वर्तमान में कोई खतरा होना नहीं बताया है। शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नहीं की है। उप वन संरक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 9174 दिनांक 14.10.16 में यह अंकित किया है कि प्रार्थी चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र की परिधी में 10 कि0मी0 के अन्तर्गत निवास करता है। अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34 (3) के प्रावधानानुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना संभव नहीं है। उक्त धारा में यह प्रतिपादित किया गया है कि "No new licences under the Arms Act, 1959 (54 of 1959),shall be granted within a radius of ten kilometres of a sanctuary without the prior concurrence of the Chief Wildlife Warden. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने प्रार्थी के सम्बन्ध में मात्र थाना निहालगंज से रिपोर्ट प्राप्त की है शहर में दो अन्य थाने स्थापित है उनसे कोई सत्यापन नहीं कराया है। अन्य थानों में भी तो प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज हो सकता है। प्रार्थी एक सामान्य प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो ट्रेक्टरों की मरम्मत का कार्य करता है। प्रार्थी को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:–

1. पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को स्थानान्तरित किए जाने की अनुशंषा की है।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि0शा0) जोन भरतपुर ने प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित नहीं बताया है। प्रार्थी का स्वयं का एक गैरेज है, जिसमें मैसी ट्रैक्टरों की मरम्मत करता है। शस्त्र अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी को वर्तमान में कोई खतरा होना नहीं है। शस्त्र अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंषा नही की है।

(नन्नूमल पहाड़िया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

3. उप वन संरक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि प्रार्थी चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र की परिधी में 10 कि0मी0 के अन्तर्गत निवास करता है। अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34 (3) के प्रावधानानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र दिया जाना संभव नहीं है।
4. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर अति0 पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि0शा0) जोन भरतपुर एवं उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्टो को अस्वीकृत किया जा सके।
5. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.07.2016 के नियम 13 में यह प्रतिपादित है कि **"अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए समय सीमा –** अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन पर विचार करने के पश्चात और समाधान हो जाने पर कि आवेदक पात्रता की शर्तों को पूर्ण करता है, किसी व्यक्ति को, पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर अनुसूची 1 के प्रवर्ग 3 में विनिर्दिष्ट आयुध या गोला बारूद के अनुज्ञेय प्रवर्ग के लिए, ऐसा प्रदान करना या नामंजूर करने के लिए कारणों को लेखबद्ध करते हुए सकारण आदेश पारित करने के द्वारा कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या नामंजूर करेगा।"
6. इस नियम के परिपेक्ष्य में प्रार्थी पात्रता की सभी शर्तो को पूर्ण नहीं कर पाया है। सीआईडी (वि0शा0) एवं उप वन संरक्षक धौलपुर द्वारा प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने की अभिशंषा की है।
7. आर्म्स नियम 2016 के नियम 11 (4) (ज) में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्ररूप 4 में किसी आवेदन की दशा में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) के अधीन सशक्तः प्राधिकारी से अनुज्ञा के साथ नियम 35 के उप नियम (2) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टयॉं।
8. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) की धारा 35 (2) में यह प्रतिपादित है कि The notification referred to in sub- section (1) shall define the limits of area which is intended to be declared as a National Park.
9. उक्त नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को नया आर्म्स अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना न्यायाचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने सम्बन्धी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.07.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(नन्नूमल पहाडिया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)